

12/11/16

proceeding

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 21 दि० 12.11.16 में प्रकरण रखा गया।

परिवादी सहित अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता।
अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर।
प्रकरण परिवादी साक्ष्य/राजीनामा हेतु नियत है।

उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन धारा 147 दप्रस के अधीन अधिवक्तागण द्वारा पहचानयुक्त पेश किया गया। आवेदन के माध्यम से निवेदन किया कि उभयपक्षों में मधुर संबंध रखने के आशय से राजीनामा हो गया है। अभियुक्त को व्यापार में अत्यधिक हानि होने से अभियोगी द्वारा अभियुक्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीस हजार रुपये में राजीनामा कर लिया है, शेष राशि को छोड़ दिया है। अतः राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया है। उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत डोंकेट भरकर 20 हजार रुपये में राजीनामा किया जाना बताया है।

प्रकरण धारा 138 एन०आई० एक्ट संबंधी है जिसमें यद्यपि अपराध विवरण विरचित हो चुके हैं किन्तु अभी साक्ष्य नहीं हुई है। **न्यायदृष्टांत दामोदर एस प्रभु विरुद्ध सैयद बाबा लाल ए०आई०आर० 2010 एस०सी०-1907** के माध्यम से मान० उच्चतम न्यायालय द्वारा राजीनामा में प्रकरण उपशमन किए जाने की दशा में चैक राशि के दस प्रतिशत राशि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिया है। यद्यपि उक्त दस प्रतिशत राशि अत्यंतिक नहीं हैं।

न्यायदृष्टांत म०प्र० स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी विरुद्ध प्रतीक जैन 2014 (3) जे०एल०जे०-243 एस०सी० में अभिनिर्धारित किया है कि जहां मामला लोक अदालत में निराकृत होता है वहां न्यायदृष्टांत दामोदर "उपरोक्त" के मामले में दिए गए दिशा निर्देश जो खर्च या कोस्ट के संबंध में उसमें मुक्ति नहीं दी जा सकती है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि दामोदर "उपरोक्त मामले" में न्यायालय का यह विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि विशेष तथ्य व परिस्थितियों में इस राशि को न्यायालय कम कर सकती है।

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस मामले में परिवादी ने अभियुक्त को व्यापार में हुए नुकसान को देखते हुए उसकी चैक राशि से कम में राजीनामा करने का आवेदन दिया है साथ ही उभयपक्ष नेशनल मेगा लोक अदालत में राजीनामा करते हुए परस्पर मधुर संबंधों के उत्कर्ष हेतु आशान्वित हैं। लोक अदालत पीठ सदस्यगण ने भी उल्लेखित कारण को देखते हुए युक्तियुक्त परिव्यय अधिरोपित कर अपराध के शमन किए जाने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिव्यय राशि को युक्तियुक्त अधिरोपित करना उचित होगा।

अतः यदि अभियुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में राजीनामा हुए राशि की दस प्रतिशत अर्थात् मूल की दो प्रतिशत राशि को जमा कर रसीद प्रस्तुत करे तो प्रकरण में अपराध शमन किया जा सकेगा।
प्रकरण थोड़ी देर बाद पुनः पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

Identify on
Identify on
Identify on

Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Parties or
Pleaders where
necessary

पुनश्च

परिवादी सहित अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर।


परिवादी द्वारा दो हजार रुपये की रसीद बुक क्र० 6888 रसीद क्र० 1 पर जमा कर प्रस्तुत की गयी। अभियुक्त की ओर से आदेश का पालन किया गया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र राजीनामा हेतु स्वीकार किया जाना उचित है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र रामस्वरूप गुप्ता को परिवादी जितेन्द्र अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत धारा 138 एन०आई० एक्ट के प्रकरण जिसमें चैक क्र० 55097 दिनांकित 20.11.12 के संबंध में अपराध के उपशमन की अनुमति दी जाती है।


अभियुक्त को राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।


लोक अदालत में प्रकरण निर्णित होने से परिवादी को प्रस्तुत न्यायशुल्क वापसी का प्रमाणपत्र जारी किया जावे।



निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।


सदस्य


सदस्य


पीठाधीन अधिकारी
वायिके मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
मेरठ जिला मिराट प०३०

अदालत

मेरठ

पुनश्च (रि०)

रसीद 7
2000/1
जमा हुआ
कमिशन
2000/1

2000/1
पुन 688
425